

आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

23

(1.) शम्भु कुमार एवं (2.) सुधीर कुमार वर्मा दोनों के पिता स्व० प्रफुल राम, निवास स्थान ग्राम-कर्वेकला, अमृतनगर, पोस्ट-कोरा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेखुर्द, थाना नं०-172, खाला संख्या-15, प्लॉट संख्या-372, रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसिमिल) (छः डिसिमिल) भूमि अनिता देवी पति सुरेन्द्र महतो, निवास स्थान ग्राम-धुकचुको, पोस्ट-अटकाडीह, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि विक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केला का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन शाद संख्या-220/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1039/स० दिनांक 07.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1395 दिनांक 03.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं केला पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से शामिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किरम रैयती है। खतियानी रैयत मुंडील कहार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 4.67 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-17/V पर मुंडील कहार, लुरुक कहार के नाम से रकबा 3.4565 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2014-15 तक निर्जत् है। आवेदक जमाबंदी रैयत के पोता हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकबा 0.76 एकड़ भूमि है। विक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकबा 3.3965 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि विक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही B.L.R Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
धारक
दिप्पणी

1

2

प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है। वर्ष 2022-23 तक निर्गत लगान रसीद की प्रति प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) शम्भु कुमार एवं (2.) सुधीर कुमार वर्मा दोनों के पिता स्व० प्रफुल राम, निवास स्थान ग्राम-कर्वेकला, अमृतनगर, पोस्ट-कौरा, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कर्वेसुई, थाना नं०-172, खाता संख्या-15, प्लॉट संख्या-372, रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसिमिल) (छः डिसिमिल) भूमि अनिता देवी पति सुरेन्द्र महतो, निवास स्थान ग्राम-धुकचुको, पोस्ट-अटकाडीह, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता,



हजारीबाग

अपर समाहर्ता, हजारीबाग

